



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने व एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹26000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-897/2015 धारा- 363,366,376 भा0द0सं0,06 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र बस्सू कुशवाहा नि0 ग्राम पहाड़ी भिटारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹26000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
सीओ श्री विजय
त्रिपाठी



पैरोकार- थाना मुस्करा
का0 ज्ञानेन्द्र कुमार